

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम <u>शहादिया</u> पं०मं० <u>डी२</u> भू०अ०नि०वृत्त <u>शाहपुरी</u> तहसील <u>शाहपुरी</u>							
क्र. सं.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा कु०	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1	50	320/2 ek कित्त-3	1.0622	हे लालाराम पुत्र भोभाराम हिस्सा पूर्ण जमि अल आ. देलाह खानेदार रहिन (पूर्व खाता) राजस्थान मस. ग्रा लैंड शाखा देलाह	लालाराम पुत्र भोभाराम हिस्सा पूर्ण जमि अल आ. देलाह खानेदार रहिन (पूर्व खाता) राजस्थान शाखा लैंड		
2	19	239 ek कित्त-4	1.6438	नरवा पुत्र वल्लभ हिस्सा- पूर्ण जमि राजस्थान शाखा खानेदार (ख. 469/237 बिना मस. ग्रा लैंड शाखा देलाह)	नरवा पुत्र वल्लभ हिस्सा पूर्ण जमि राजस्थान शाखा खानेदार (ख. 469/237 बिना रहिन) राजस्थान शाखा लैंड		
<p>(2025-2029) जमाबंदी 2076 के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय आबूरोड के समक्ष प्रवण योग्य है। 25/9/26 पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल, शाहपुरी दिनांक तह.-आबूरोड, जिला-सिरोही (राज.)</p>				<p>साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है।</p>		<p>प०हत्का <u>शोर शाहपुरी</u> भू०अ०नि० की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण भन्दीबस्त सक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलम को सादर प्रेषित है। आबूरोड 25/9/26 ह० भू०अ०नि० वृत्त शाहपुरी</p>	<p>प०हत्का भू०अ०नि० राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये। 25/9/26 ह० उपखण्ड अधिकारी सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही)</p>